

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड खंडवा (म.प्र.)

विज्ञप्ति प्रारूप

जिला न्यायालय पूर्व निमाड खंडवा, जिला खंडवा स्थापना पर शपथ आयुक्त (जिला न्यायालय के लिये) के 05 पद पर अभिभाषकों की नियुक्ति

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक-ए/4773 जबलपुर, दिनांक 04.12.2021 के अनुक्रम में इस न्यायिक जिला स्थापना के मुख्यालय खंडवा में शपथ आयुक्त के 05 पद पर शपथ आयुक्त नियम 1976 के नियम 3 एवं 4 तथा पूर्व में प्रेषित मार्गदर्शिका के आधार पर नियुक्ति की जाना है ।

अतः उक्त पदों पर शपथ आयुक्त (जिला न्यायालय के लिये) शपथ आयुक्त नियम 1976 के अध्याधीन योग्यता प्राप्त अधिवक्ताओं से जिला अभिभाषक संघ खंडवा के माध्यम से या सीधे भी दिनांक- 23/02/2022 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं ।

शपथ आयुक्त (जिला न्यायालय के लिये) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक योग्यताधारी अभिभाषक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं :-

1. शपथ आयुक्त के पद हेतु अभिभाषक को कम से कम 03 वर्ष का विधि व्यवसाय का कार्य अनुभव हो ।
2. उक्त अभिभाषक मध्यप्रदेश राज्य के विधि परिषद में पंजीकृत होना चाहिए और जिला अधिवक्ता संघ खंडवा का सदस्य होकर विधि व्यवसाय में होना चाहिए ।
3. अभिभाषक द्वारा आवेदन पत्र शपथ आयुक्त नियम 1976 के नियम 3 के अनुसार निर्धारित प्रारूप-एक में नियमानुसार प्रस्तुत किया जावे ।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला अभिभाषकगण, वरिष्ठ अभिभाषकगण और ऐसे दिव्यांग अभिभाषक जिनकी दिव्यांगता के कारण उनकी क्षमता शपथ आयुक्त के कार्य को प्रभावित न करती हो, इस नियुक्ति हेतु इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जावे । इस नियुक्ति हेतु उन्हें यथासंभव प्राथमिकता दी जा सकेगी, यदि ऐसे विशेष श्रेणी में आने वाले सदस्यों, पक्षकारों, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों तथा जनसामान्य के प्रति बेहतर व्यवसायिक आचरण, सद्ब्यवहार एवं शिष्टाचार का पालन करने वाले पाये जाते हैं ।
5. आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश राज्य बार कौंसिल में अभिभाषक के रूप में नामांकित होने का प्रमाण पत्र, अभिभाषक के रूप में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र तथा आवेदन प्रस्तुति दिनांक से लगातार 3 वर्ष पूर्व तक का जिला अधिवक्ता संघ खंडवा के सदस्य होने का प्रमाण पत्र आवश्यकता अनुसार, दिव्यांगता अथवा जाति प्रमाण पत्र आदि, कोई दांडिक मामला पंजीबद्ध न होने का घोषणा पत्र भी आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावे ।
6. यदि आवेदक पूर्व में शपथ आयुक्त या नोटरी का कार्य करता हो, तो पूर्व नियुक्ति का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जावे ।
7. आवेदक अपना एक अतिरिक्त कलर पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफस जिसके पीछे उनका नाम अंकित हो, भी संलग्न किया जावे ।

संलग्न :-

आवेदन पत्र का विहित प्रारूप-1

खंडवा

दिनांक - 08/02/2022

आदेशानुसार,

शपथ आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन
(शपथ आयुक्त नियम, 1976 के नियम 3 के अधीन)

1. आवेदक का नाम
2. आवेदक के पिता/पति का नाम
3. पूरा पता.....
4. व्यवसाय का स्थान जो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र में प्रविष्ट हो.....
5. वर्ष जब से विधि व्यवसाय कर रहे हैं
6. क्या पूर्व में भी शपथ आयुक्त नियुक्त किए गए थे, यदि हाँ, तो ऐसी नियुक्ति की समाप्ति का कारण
7. क्या पूर्व में नोटरी नियुक्त किए गए थे, यदि हाँ, तो ऐसी नियुक्ति की समाप्ति का कारण
8. तथ्य जिन पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाए.....

तारीख का दिन.....

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि उक्त विशिष्टियाँ मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य हैं और उक्त तथ्यों से सम्बन्धित कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

तारीख का दिन.....

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

1. आवेदन प्रस्तुत करने या प्राप्त करने की तारीख
2. जिला न्यायाधीश की टिप्पणियाँ
3. कोई अन्य विशेष तथ्य जो जिला न्यायाधीश की जानकारी में हो,
जिन पर ध्यान अपेक्षित हो।

तारीख का दिन.....

स्थान

प्रधान जिला न्यायाधीश के हस्ताक्षर
कार्यालयीन मुद्रा के साथ